

बीमा

बोल्ट

Hindi version



सभी - IBPS, SSC, SBI, RAILWAYS & RBI आदि परीक्षाओं की एक ही
स्थान पर तैयारी के लिए [यहाँ क्लिक करें।](#)

बोल्ट, ऑलिवबोर्ड की तरफ से त्वरित पुनरावलोकन के लिए सामान्य सूचनाओं
के मासिक सारांश को प्रस्तुत करती ई-बुक है!!

Table of Contents

बीमा परिचय	3
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	5
जीवन बीमा कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र).....	6
साधारण बीमा कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र).....	8
बीमा के सिद्धांत	10
जीवन बीमा योजनाओं के प्रकार	16
बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद	22
विविध विषय.....	26
तथ्य: निजी जीवन/गैर-जीवन बीमा कंपनियां (आवश्यक).....	32

बीमा परिचय

बीमा क्या है ?

बीमा एक आवधिक भुगतान के बदले विशिष्ट संभावित भविष्य के नुकसान के मुआवजे का वादा है। यह अप्रत्याशित हानि के मामले में किसी व्यक्ति, कंपनी या अन्य संस्था की वित्तीय भलाई की रक्षा के लिए बनाया गया है।

बीमा का इतिहास

1818 - कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। यह भारतीय भूमि पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी।

1829 - मद्रास इक्विटेबल ने मद्रास प्रेसीडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय का लेन-देन शुरू कर दिया था।

1850 - पहली सामान्य बीमा कंपनी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में स्थापित हुई।

1870 - ब्रिटिश बीमा अधिनियम और बॉम्बे म्युचुअल (1871), ओरिएंटल (1874) और एम्पायर ऑफ़ इंडिया (1897) के अधिनियमन को बॉम्बे रेजिडेंसी में शुरू किया गया था।

1907 - इंडियन मर्केटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह सामान्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों का लेन-देन करने वाली पहली कंपनी थी।

1912 - भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, 1912 बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पहला वैधानिक प्रावधान था।

1928 - भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम को भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में हस्तांतरित जीवन और गैर-जीवन व्यापार दोनों के बारे में सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें भविष्य निधि बीमा सोसायटीयां भी शामिल थी।

1938 - बीमा अधिनियम को बीमा कंपनियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक प्रावधानों के साथ बीमा जनता के हित की रक्षा के लिए संशोधित किया गया।

1956 - जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण

1957 - साधारण बीमा परिषद ने निष्पक्ष आचरण और ध्वनि व्यवसाय प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की।

1968 - बीमा अधिनियम में निवेश को विनियमित करने और न्यूनतम विलय सीमा निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया और टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना की गई।

बीमा सुधार

- 1993 में सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर **आरएन मल्होत्रा** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशों का प्रस्ताव रखा।
- 1994 में, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझाव थे:
 - ✓ निजी क्षेत्र को बीमा उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
 - ✓ विदेशी कंपनियों को अस्थायी भारतीय कंपनियों द्वारा प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, अधिमानतः भारतीय साझेदारों के साथ एक संयुक्त उद्यम।

- समिति की सिफारिशों के बाद 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसे अप्रैल 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में नियोजित किया गया था।
- यह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत गठित किया गया था। यह देश के बीमा उद्योग को नियंत्रित करता है। विदेशी कंपनियों को 49% निवेश की अनुमति है।
- प्राधिकरण के पास बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 ए के तहत विनियमों को लागू करने की शक्ति है और उसने बीमा कारोबार से लेकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए सन 2000 से कंपनियों के पंजीकरण से लेकर विभिन्न नियमों को तैयार किया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 का अनुभाग 14, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्यों शक्तियों और कार्यों को दर्शाता है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- ✓ आवेदक को नवीनीकरण करने, हटाने, निलंबित करने या ऐसे पंजीकरण को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना;
- ✓ पॉलिसी निर्धारित करना, पॉलिसी धारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य ब्याज, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य और बीमा के अनुबंधों के अन्य नियमों और शर्तों के मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा;
- ✓ बीमा मध्यस्थों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों के लेखा-जोखा सहित पूछताछ और निरीक्षण करना और जानकारी प्राप्त करना;
- ✓ बीमा कंपनियों द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64 यू. के. के तहत सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरों, लाभों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन जो बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है;
- ✓ आवश्यक योग्यता, मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण को निर्दिष्ट करना;
- ✓ बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन;
- ✓ विलय के सीमा का नियमित रखरखाव करना;
- ✓ टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज का पर्यवेक्षण;
- ✓ बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का निर्णय;
- ✓ खंड (एफ) में निर्दिष्ट पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना;
- ✓ ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना;

जीवन बीमा कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र)

भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारत की संसद ने 19 जून 1956, को भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया और भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर 1956 को भारत सरकार के 5 करोड़ रु की पूंजी योगदान से निर्मित किया।

- जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उद्देश्य देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से और ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना है, जिससे उन्हें उचित लागत पर पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा दायरा मिल सके।
- वर्ष 1956 में अपने मुख्य व्यवसायिक कार्यालय के अलावा जीवन बीमा निगम के 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 33 मंडल कार्यालय और 212 शाखा कार्यालय थे।

कुछ महत्वपूर्ण जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बीमा योजनाएं-

➤ एंडोमेंट योजना

- **जीवन बीमा निगम की जीवन प्रगति योजना** - इस पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रत्येक पांच वर्ष के बाद जोखिम कवर में स्वतः विस्तार प्रदान किया जाता है।
- **जीवन बीमा निगम का जीवन लाभ** - यह परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि है।
- **जीवन बीमा निगम की जीवन आनंद योजना** - यह पॉलिसीधारक को जीवन भर के लिए मृत्यु के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, उसके जीवित रहने के मामले में चयनित पॉलिसी अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान के प्रावधान के साथ यह नीति कार्य करती है।
- **जीवन बीमा निगम की जीवन रक्षक योजना** - यह परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि का प्रावधान करता है।
- **जीवन बीमा निगम की जीवन लक्ष्य योजना** - यह वार्षिक आय लाभ के लिए ली जाने वाली गैर-योजनाकारी पॉलिसी है, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है, मुख्य रूप से पॉलिसीधारक के अकाल मृत्यु के मामले में यह बच्चों के लाभ के लिए और पॉलिसीधारक के जीवित रहने की स्थिति में परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि के तौर पर लाभ प्रदान करती है।

नोट - उपरोक्त सभी योजनाएं अपने ऋण सुविधा से **चलनिधि आवश्यकता** का ध्यान रखती हैं।

● जीवन बीमा निगम की आधार शिला योजना

- ✓ यह योजना परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि के तौर पर लाभ प्रदान करती है।
- ✓ यह योजना विशेष रूप से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी आधार कार्ड से सम्बद्ध महिलाओं के लिए बनाई गई है।

- **जीवन बीमा निगम आधार स्तम्भ योजना**

- ✓ यह योजना परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि के तौर पर लाभ प्रदान करती है।
- ✓ यह योजना विशेष रूप से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी आधार कार्ड सम्बद्ध पुरुषों के लिए बनाई गई है।

- **संपूर्ण जीवन योजना**

- **भारतीय जीवन बीमा निगम उमंग योजना** - यह आपके परिवार को आय और सुरक्षा का एक संयोजन प्रदान करता है। यह योजना परिपक्वता तक प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत से वार्षिक उत्तरजीविता लाभ और परिपक्वता के समय एकमुश्त भुगतान या पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर भुगतान प्रदान करती है।

- **मनी बैक योजना / रकम वापसी योजना**

- **भारतीय जीवन बीमा निगम तरुण**

- ✓ यह योजना विशेष रूप से 20 से 24 वर्ष की आयु से वार्षिक जीवन रक्षा लाभ भुगतान और 25 वर्ष की आयु में परिपक्वता लाभ के माध्यम से बढ़ते बच्चों की शैक्षिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
- ✓ यह एक नम्य योजना है जिसमें प्रस्ताव के चरण में प्रस्तावक निम्नलिखित चार विकल्पों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले उत्तरजीविता लाभों का अनुपात चुन सकता है:

साधारण बीमा कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र)

भारत में संपूर्ण साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (GIBNA) द्वारा किया गया था।

भारतीय साधारण बीमा निगम

- भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन GIBNA की धारा 9 (1) के अंतर्गत किया गया था। इसे 22 नवंबर 1972 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- इसका गठन साधारण बीमा के व्यवसाय पर अधीक्षण, नियंत्रण और वहन करने के उद्देश्य से किया गया था।
- 107 बीमाकर्ताओं का विलय कर उन्हें चार कंपनियों में बांट दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड साधारण बीमा निगम को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया।
- 2000 में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA अधिनियम, 1999 ने GIBNA और बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन पेश किया। GIC को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में बदल दिया गया और प्रशासनिक निर्देश के माध्यम से, चार सहायक कंपनियों पर इसकी पर्यवेक्षी भूमिका समाप्त हो गई।

सहायक कम्पनी

- जीआईसी रे साउथ अफ्रीका लिमिटेड (GIC Re South Africa Ltd) -100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जोहान्सबर्ग में GIC Re SA के संचालन से 1 जनवरी 2015 से अंडरराइटिंग व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका से आने वाले रिइंश्योरेंस(पुनर्बीमा) और रिट्रिशन बिजनेस लिखने के लिए एक जनादेश था।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी

- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12 सितंबर 1947 को बॉम्बे में शामिल किया गया था। कंपनी ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी और इसका गठन जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय करने के लिए किया गया था।
- यह बिजली संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल, इस्पात और रासायनिक संयंत्रों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष कवर तैयार करने में निपुण है।
- कंपनी के 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका नेपाल, कुवैत और दुबई में विदेशी परिचालन होता है।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 18 फरवरी 1938 को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- 12 भारतीय बीमा कंपनियां, 4 सहकारी बीमा समितियां और 5 विदेशी बीमाकर्ताओं के भारतीय संचालन के अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम के दक्षिणी क्षेत्र के सामान्य बीमा संचालन को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- कंपनी की स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा ने की थी। पहला विदेशी कार्यालय 1920 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में खोला गया था। इसका म्यांमार के यंगून में एक प्रतिनिधि कार्यालय है।
- कंपनी एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड जीआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड की सह-उत्पादक है। साथ ही, कंपनी को हेल्थ इश्योरेंस सपोर्ट सेवाओं में संयुक्त सरकार के स्वामित्व वाले अन्य बीमा कंपनियों के साथ एक कॉमन टीपीए -हेल्थ इंडिया टीपीए इश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड को बढ़ाया गया है ।

नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- एनआईसी (NIC) भारत की सबसे पुरानी सामान्य बीमा कंपनी है। इसे 5 दिसंबर 1906 को शामिल किया गया था।
- यह देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता मारुति और दो-पहिया प्रमुख हीरो मोटो कॉर्प और कई अन्य लोगों के साथ रणनीतिक गठजोड़ करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी थी।

एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

- भारत की कृषि बीमा कंपनी को 20 दिसंबर 2002 को शामिल किया गया और 1 अप्रैल 2003 में इसका परिचालन शुरू किया गया।
- ✓ प्राधिकृत शेयर पूंजी - 1500 करोड़ रुपये
- ✓ प्रदत्त शेयर पूंजी - 200 करोड़ रुपये

प्रमोटर (शेयर होल्डिंग)

- ✓ भारतीय साधारण बीमा निगम - 35 %
- ✓ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) - 30 %
- ✓ नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में से प्रत्येक के 8.75% शेयर हैं।

सार्वजनिक बीमा कंपनियाँ/संस्थाएँ (CMDs और मुख्यालय)

Institution	Headquarter
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	हैदराबाद
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	मुंबई
भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC)	मुंबई
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	नई दिल्ली
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई
नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कोलकाता
यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी	चेन्नई
भारतीय बीमा संस्थान	मुंबई
एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	नई दिल्ली
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड	मुंबई
कर्मचारी राज्य बीमा	नई दिल्ली

बीमा के सिद्धांत

बीमा को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत हैं -

- **सबसे अधिक विश्वास का सिद्धांत** - चाहे पूछा जाये या ना पूछा जाये, प्रत्येक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को अपनी सभी सामग्री की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, गैर-प्रकटीकरण या भौतिक तथ्यों का गलत विवरण नहीं होना चाहिए।
- **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत**- इसका अर्थ है कि जिसे किसी नीति के अंतर्गत बीमाकृत किया गया है, उसके नुकसान की परिस्थिति में बीमाधारक को बीमा पॉलिसी की राशि से अधिक न होने वाले नुकसान की वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।
- **बीमा योग्य ब्याज का सिद्धांत**- बीमा ब्याज वह ब्याज है, जब नीति धारकों को विषय वस्तु के अस्तित्व से लाभ मिलता है और विषय वस्तु की मृत्यु या क्षति होने पर हानि होती है।
- **कॉसा मैक्सिमा का सिद्धांत**- इसका अर्थ यह है कि निकटतम कारण या वह कारण, जो घटनाओं की प्राकृतिक और निरंतर श्रृंखला में, किसी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार है। बीमाकर्ता की हानि के लिए तभी उत्तरदायी होता है, जब ऐसा नुकसान मुख्य रूप से बीमाधारक के खिलाफ नुकसान के कारण होता है।
- **नुकसान के न्यूनीकरण का सिद्धांत**- एक बीमाधारक को नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें संपत्ति की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए, जितनी कि हम संपत्ति का बीमा नहीं होने पर करते हैं।
- **प्रतिस्थापन का सिद्धांत**- इसके अनुसार, बीमित व्यक्ति को उसके द्वारा बीमित संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के बाद, कवर की गई हानि के संबंध में बीमित व्यक्ति के दावों का निपटारा करने के बाद बीमाकर्ता के पास ऐसी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार हो जाता है।
- **योगदान का सिद्धांत**- बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक द्वारा बीमाकृत राशि के अनुपात में भुगतान की राशि साझा करनी होगी। यदि बीमाकर्ताओं में से कोई एक सम्पूर्ण नुकसान का भुगतान करता है, तो वह अन्य बीमाकर्ताओं से योगदान प्राप्त करने का हकदार है।

नोट- योगदान का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का परिणाम हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत केवल अग्नि बीमा और समुद्री बीमा पर लागू होता है।

बीमा के प्रकार

जीवन बीमा

- जीवन बीमा एक अनुबंध है जो आपसी विश्वास पर आधारित है। यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह पॉलिसीधारक के नामांकित व्यक्तियों को एकमुश्त राशि देने का वादा करता है।
- इस प्रकार के बीमा में, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु शराब या नशीली दवाओं के सेवन, युद्ध या आतंकवाद, आत्महत्या या आत्म-घात से लगी चोटों, अत्यधिक लापरवाही या असावधानी से हुई हो, तो ऐसे में पॉलिसी कवर नहीं करती है।

साधारण बीमा

- साधारण बीमा एक अनुबंध है, जो मृत्यु के अलावा किसी भी नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है। यह जीवन के अलावा सभी का बीमा करता है।
- यह आपके घर, कार, बाइक, स्वास्थ्य, यात्रा आदि से उपगत देयताओं के कारण वित्तीय नुकसान की भरपाई करता है।

स्वास्थ्य बीमा

- स्वास्थ्य बीमा एक बीमा पॉलिसी है जो कि कैशलेस उपचार या व्यय प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित करती है।
- यह किसी बीमारी/चोट के कारण से अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले चिकित्सा और शल्य खर्चों के लिए बीमा की प्रतिपूर्ति करता है।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा - यह निश्चित बीमारियों के होने पर किसी व्यक्ति को कवरेज प्रदान करता है, अस्पताल में भर्ती के समय कैशलेस सुविधा, प्रतिपूर्ति, अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व के खर्चों और छुट्टी मिलने के बाद के खर्चों के कवरेज जैसे लाभ प्रदान करता है।

पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा - यह प्रभावी स्वास्थ्य बीमा कवर का एक रूप है, जो परिवार के सभी सदस्यों को एकल प्रीमियम के बदले में सभी चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए कवरेज प्रदान करता है।

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा - आईआरडीएआई (IRDAI) के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को ले सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा निम्न परिस्थितियों में कवरेज प्रदान नहीं करता है:

- ✓ युद्ध या संबंधित गतिविधियों के कारण अस्पताल में भर्ती होना
- ✓ टर्मिनल बीमारियाँ, एड्स और इसी तरह की अन्य बीमारी
- ✓ कॉस्मेटिक/प्लास्टिक सर्जरी, हार्मोन का प्रतिस्थापन, लिंग परिवर्तन आदि
- ✓ दंत चिकित्सा या नेत्र शल्य चिकित्सा
- ✓ प्रतीक्षा अवधि के दौरान पॉलिसी खरीदने से पहले की कोई भी चिकित्सा परिस्थिति
- ✓ गैर-एलोपैथिक चिकित्सा जैसे एक्यूपंकचर, योग, नैचुरोथेरेपी, आदि
- ✓ यदि नैदानिक रिपोर्ट में कवर रोग के अस्तित्व की पुष्टि नहीं है, तो नैदानिक शुल्क हो।

मोटर बीमा

मोटर बीमा एक कवरेज है, जो प्राकृतिक आपदाओं और मानव-जनित परिस्थितियों के कारण भौतिक क्षति या नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए मोटर बीमा अनिवार्य है।

कार बीमा - यह स्वयं की कार/ तीसरे पक्ष की कार को आकस्मिक नुकसान या क्षति से कवरेज प्रदान करता है।

व्यापक कार बीमा - यह आपके या तीसरे पक्ष/अन्य पक्ष के लिए सभी प्रकार के नुकसान और देयताओं को कवर करता है। इसमें दुर्घटनाओं, तोड़फोड़, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण होने वाले नुकसान कवर होते हैं।

थर्ड पार्टी (तीसरा पक्ष) बीमा पॉलिसी - इसमें तीसरे व्यक्ति को कवर किया जाता है, जो अपने मालिक और उसकी कार से जुड़ी किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है। यह बीमाकृत व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान नहीं करता है। IRDAI के अनुसार, कोई भी बीमाकर्ता तीसरे पक्ष का बीमा करने से मना नहीं कर सकता है।

मोटर बीमा में निम्न परिस्थितियों के कारण वाहन को हुआ नुकसान कवर किया जाता है:

- ✓ दंगा और हड़ताल
- ✓ आग और डैकती
- ✓ आतंकवाद अधिनियम
- ✓ भूकंप
- ✓ भूस्खलन
- ✓ बाढ़, तूफान, चक्रवात

मोटर बीमा निम्न परिस्थितियों में कवरेज प्रदान नहीं करता है:

- ✓ ड्रग्स/दुर्व्यवहार के प्रभाव में चालक के होने पर
- ✓ वाहनों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किये जाने पर
- ✓ वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर
- ✓ भारत के बाहर बीमित वाहन को पहुंचा कोई नुकसान/क्षति

यात्रा बीमा

यात्रा बीमा किसी भी प्रकार की वित्तीय देयताओं की भरपाई या भुगतान करता है, जो विदेश में या देश में यात्रा करते समय चिकित्सा और गैर-चिकित्सा आपात परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं।

यात्रा बीमा आमतौर पर कवर करता है -

- ✓ सामान का नुकसान
- ✓ आपातकालीन चिकित्सा व्यय
- ✓ पासपोर्ट का नुकसान
- ✓ अपहरण
- ✓ विलंबित उड़ानें
- ✓ यात्रा का रद्द होना

एकल यात्रा पॉलिसी - यह उस एक यात्रा को कवर करती है, जो 180 दिनों की अवधि तक की जाती है। (पूरी तरह से बीमाकर्ता पर निर्भर करता है)

वार्षिक एकाधिक यात्रा पॉलिसी - यह एक वर्ष के भीतर ली गई कई यात्राओं को कवर करती है।

यात्रा बीमा निम्नलिखित शर्तों के तहत कवरेज प्रदान नहीं करता है:

- ✓ चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध जा कर यात्रा करना
- ✓ 24 घंटे से कम समय के लिए सामान की देरी के लिए
- ✓ यात्रा के दौरान मानसिक बीमारी या आत्म-घात के कारण चोट

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में युद्ध या नागरिक अशांति
- ✓ खतरनाक खेल जैसे बंजी जंपिंग, पैराशूटिंग आदि में भाग लेने से

आवास बीमा

- आवास बीमा एक कवरेज है, जो प्राकृतिक आपदाओं या मानव-जनित परिस्थितियों या अन्य खतरों के कारण घर को होने वाले नुकसान के लिए भुगतान या प्रतिपूर्ति करता है।
- यह आग, चोरी, डैकटी, बाढ़, भूकंप और तोड़फोड़ के कारण देयताओं को शामिल करता है।

मानक अग्नि और विशेष खतरों की पॉलिसी - यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बिजली, बाढ़, तूफान, भूकंप, आदि को कवर करती है; पानी की टंकियों, पाइपों आदि के अतिप्रवाह या फटने के कारण होने वाली क्षति; मानव जनित गतिविधियों जैसे दंगे, हड़ताल आदि के कारण होने वाले नुकसान आदि।

आवास संरचना बीमा - यह आपके घर की संरचना को किसी भी प्रकार के जोखिम और नुकसान से बचाता है। यह घर के अंदर स्थायी मरम्मत जैसे रसोई और स्नानघर की फिटिंग आदि को भी कवर करता है।

सार्वजनिक देयता कवरेज - बीमाकृत के घर के अंदर किसी अन्य व्यक्ति या उनकी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है।

सामग्री बीमा - यह बीमाकृत घर के अंदर की सामग्री को कवर करता है। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, पोर्टेबल उपकरण आदि को कवर किया जाता है।

आवास बीमा निम्नलिखित परिस्थितियों में कवरेज प्रदान नहीं करता है:

- ✓ संपत्ति का विध्वंस
- ✓ पहनने से और फटने से तथा मूल्यहास के कारण नुकसान
- ✓ परमाणु युद्ध के कारण नुकसान, आक्रमण, विदेशी देश के कार्य के कारण
- ✓ संपत्ति के अंदर रखी नकदी का नुकसान
- ✓ अधिक चलने के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नुकसान

अग्नि बीमा

- आग के कारण संपत्ति या माल के नुकसान के लिए अग्नि बीमा भुगतान या क्षतिपूर्ति करता है।
- इसमें बीमित संपत्ति और आस-पास की संरचनाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण या मरम्मत के खर्चों को शामिल किया गया है और आग के कारण तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुआ नुकसान भी कवर होता है।

अग्नि बीमा के सामान्य प्रकार हैं:

मूल्य नीति - बीमाकर्ता संपत्ति को महत्व देता है और नुकसान या क्षति के मामले में उस मूल्य तक मुआवजे का भुगतान करने का वचन देता है।

फ्लोटिंग नीति - यह विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्तियों के नुकसान को कवर करती है।

व्यापक नीति - यह विस्तृत कवरेज प्रदान करती है और इसमें आग, चोरी, डैकटी आदि के कारण होने वाले नुकसानों के कवरेज शामिल होते हैं, इसे एक ऑल-इन-वन नीति के रूप में जाना जाता है।

विशिष्ट नीति - यह एक विशिष्ट राशि तक ही कवर करती है, जो संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कम है।

मूल्यवान नीति - दावा की गई राशि का निर्धारण क्षतिग्रस्त संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है।

बिजली, विस्फोट, विमान की क्षति, आतंकवादी गतिविधि, दंगा हड़ताल, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन/रॉक स्लाइड, पानी का अति-प्रवाह/पानी की टंकी का बहना, झाड़ियों में आग लगने के कारण नुकसान अग्नि बीमा नीति के अंतर्गत आता है।

समुद्री बीमा

यह कार्गो, जहाजों, टर्मिनलों और किसी भी परिवहन की क्षति या क्षति के मामले में कवरेज प्रदान करता है जिसके द्वारा किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है या मूल और उसके गंतव्य के बीच स्थानांतरित किया जाता है।

कार्गो बीमा - यह शिपिंग के दौरान किसी भी बाहरी कारण से शिपमेंट के दौरान माल के नुकसान या क्षति के सभी जोखिमों के विरुद्ध कवरेज प्रदान करता है, चाहे वह जमीन, समुद्र या हवा से हो। इसे फ्रेट इंश्योरेंस (Freight Insurance) के नाम से जाना जाता है।

देयता बीमा - यह व्यक्तियों और/या संपत्ति को नुकसान के परिणामस्वरूप दावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानूनी लागत और किसी भी कानूनी भुगतान दोनों को कवर करता है, जिसके लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी पाए जाने पर बीमाधारक उत्तरदायी होगा।

पोत बीमा - यह एक नाव बीमा है, जो किसी नाव, उसकी मशीनरी और उसके उपकरणों के नुकसान को कवर करता है।

विभिन्न प्रकार की समुद्री बीमा योजनाएं

समय बीमा योजना - यह एक निश्चित समयावधि के लिए जारी किया जाता है। यह एक वर्ष के लिए वैध है और कार्गो बीमा की तुलना में पोत बीमा पर अधिक लागू होता है। इसमें एक नौवहन जहाज शामिल है।

यात्रा नीति - यह एक यात्रा के लिए केवल एक जहाज को शामिल करता है। यात्रा समाप्त होने पर कवरेज समाप्त हो जाता है।

मान्य नीति - धोखाधड़ी के मामले में यह पॉलिसीधारक द्वारा किए गए नुकसान / क्षति के बदले में एक निश्चित धनराशि चुकाता है। बीमाकर्ता और बीमाधारक दोनों द्वारा नियम और शर्तें तथा बीमा धनराशि तय की जाती है।

मिश्रित नीति - यह अपने ग्राहकों को समय और यात्रा नीति दोनों का लाभ प्रदान करता है।

बंदरगाह जोखिम नीति - यह एक बंदरगाह पर रुकने के समय जहाज को सुरक्षा प्रदान करता है।

दांव नीति - इस नीति में, भुगतान पहले निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जब बीमा कंपनी किसी भी नुकसान के लिए दावा करती है, तो पुनर्भुगतान प्रदान किया जाता है। यह कानून की अदालत में भी अवैध है।

गंभीर बीमारी बीमा

यह बीमा राइडर / स्टैंड-अलोन योजना के रूप में आता है। जब किसी को कैंसर, स्केलेरोसिस, कोमा, हृदयघात, पक्षाघात, गुर्दे की विफलता आदि जैसी गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो यह बीमाकृत धनराशि प्रदान करता है।

व्यापारिक उधार बीमा

- यह एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है जो माल या सेवाओं के वितरण के परिणामस्वरूप भुगतान जोखिम को कवर करता है। इसे **क्रेडिट बीमा** के रूप में भी जाना जाता है।
- इस पॉलिसी के अंतर्गत क्रेडिट बीमा आमतौर पर खरीदारों का एक पोर्टफोलियो कवर करता है और एक इनवॉइस या प्राप्य के एक प्रतिशत का भुगतान करता है जो दिवाला, दिवालियापन या लंबी अवधि के डिफॉल्ट, राजनीतिक जोखिमों (ऋणस्थगन, अंतरण प्रतिबंध, युद्ध, आयात / निर्यात प्रतिबंध) के परिणामस्वरूप अवैतनिक रहता है। प्राकृतिक आपदा और लाइसेंस रद्द रहता है।

बाढ़ बीमा

- यह पानी की क्षति से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए आवास को कवर करता है, क्योंकि यह विशेष रूप से बाढ़ से संबंधित है।
- यदि बढ़ती हुई बाढ़ कारण नहीं हो, तो यह सीवर बैकअप को कवर करने के लिए एक अलग कवरेज राइडर की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

- यह एक ऐसी नीति है जो चिकित्सा लागतों की प्रतिपूर्ति कर सकती है, आकस्मिक मृत्यु के मामले में, स्थायी तौर पर कुल विकलांगता, स्थायी तौर पर आंशिक विकलांगता और अस्थायी तौर पर कुल विकलांगता में मुआवजा प्रदान कर सकती है।
- इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल हैं। उनका अस्पताल का प्रतिदिन का नकद व्यय, एम्बुलेंस खर्च, मृतक अवशेषों का प्रत्यावर्तन, टूटी हुई हड्डियां, जले हुए, परिवार परिवहन भत्ता, शिक्षा लाभ, ऋण रक्षक, अनुकूलन भत्ता हैं।

फसल बीमा

यह कृषि उत्पादकों को अनुमानित फसल की पैदावार के अप्रत्याशित नुकसान या बाजार में बिक्री से लाभ के लिए कवर करता है।

फसल उपज बीमा - यह अनपेक्षित पैदावार के कारण अपेक्षित आय को बचाता है, जो फसल की पैदावार का आयतन है।

फसल राजस्व बीमा - यह फसल बेचने की कीमतों के बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से अपेक्षित राजस्व को कवर करता है।

जीवन बीमा योजनाओं के प्रकार

अवधि जीवन बीमा पॉलिसी

- यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मृत्यु जोखिम प्रदान करता है। यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति का निधन हो गया है, तो जीवन बीमा कंपनी नामिती को मृत्यु पर देय लाभ का भुगतान करती है।
- यह एक शुद्ध जोखिम कवर योजना कम प्रीमियम पर उच्च कवरेज प्रदान करती है।
- यदि पॉलिसी की अवधि में बीमाकृत व्यक्ति जीवित रहता है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाता है। हालाँकि, किस्त की वापसी के साथ अवधि योजना [Term Plans with Return of Premiums (TROPs)] की पेशकश करने वाली कंपनियाँ हैं, इस स्थिति में बीमा अवधि में बीमाकृत व्यक्ति जीवित रहता है, तो बीमा कंपनियाँ सभी भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि को वापस लौटाती हैं।
- **समान/सम अवधि जीवन बीमा** - नवीनीकरण प्रीमियम स्थिर है, और पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु पर देय लाभ समान बना रहता है।

घटती अवधि जीवन बीमा - नवीनीकरण प्रीमियम स्थिर है और योजना के तहत मृत्यु पर देय लाभ समय के साथ घटता है।

उदाहरण- ऋण विमोचन नीति, ऋण जीवन बीमा।

बढ़ती अवधि जीवन बीमा - समय के साथ कवरेज और प्रीमियम बढ़ जाता है।

लाभ

- अवधि बीमा योजना न्यूनतम प्रीमियम दर पर उच्च कवरेज प्रदान करता है।
- यह पॉलिसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राइडर/जोखिम लाभ का विकल्प भी प्रदान करता है।
- लचीला भुगतान
- योजनाओं के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 C के तहत कर छूट के लिए योग्य है।

एंडोमेंट पॉलिसी

यह अतिरिक्त लाभ के साथ मिलता है कि यदि पॉलिसीधारक परिपक्वता अवधि होने की तारीख तक जीवित रहता है तो उसे एकमुश्त राशि प्राप्त होगी।

लाभ

- यह बचत सह बीमा कवरेज का दोहरा लाभ देता है।
- यह पॉलिसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए राइडर/जोखिम लाभों (संकटपूर्ण बीमारी, आकस्मिक मृत्यु, प्रीमियम का अधित्याग आदि) के साथ मिलता है।
- यह एक सेवानिवृत्त बोनस और प्रत्यावर्ती बोनस के रूप में एक अतिरिक्त बोनस है।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 C के तहत कर-लाभ का लाभ उठाया जा सकता है।

धन वापसी पॉलिसी/मनी बैक पॉलिसी

- पॉलिसी नियमित अंतराल पर मनी-बैक/धन वापस देती है। यह मनी-बैक/धन-वापसी का भुगतान योजना अवधि के दौरान किया जाता है और यह बीमाकृत राशि का प्रतिशत होता है।
- मनी-बैक/धन-वापसी की अदायगी का भुगतान योजना अवधि और परिपक्वता अवधि के दौरान किया जाता है, शेष बीमाकृत राशि का भुगतान निहित बोनस के साथ किया जाता है। अदायगी को उत्तरजीविता लाभ कहा जाता है।

सेवानिवृत्ति योजना

यह निवेश और बीमा रक्षा दोनों के लाभ प्रदान करता है। इस योजना में, एक व्यक्ति चरण-दर-चरण तरीके से एक विशिष्ट अवधि में जमा करने के लिए नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश कर सकता है।

लाभ

- आयकर अधिनियम 1961 के 80 C के तहत **1.5 लाख रुपये** तक करों में कटौती होती है।
- पॉलिसीधारक वेस्टिंग आयु के दौरान मासिक पेंशन प्राप्त करता है।

यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना

- यूलिप निवेश में बीमा और लचीलेपन के लाभ प्रदान होते हैं।
- यूलिप निवेश में, किसी पॉलिसी का नकद मूल्य अंतर्निहित निवेश परिसंपत्तियों के वर्तमान निवल आस्ति मूल्य के अनुसार बदलता रहता है।
- पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का उपयोग उत्तम निवेश परिसंपत्तियों में इकाइयों को खरीदने के लिए किया जाता है।

यूलिप के प्रकार

जोखिम और निवेश पर आधारित

इक्विटी निधि - यूलिप निधि को मुख्य रूप से कंपनी के शेयरों और इक्विटी में निवेश किया जाता है, जो सामान्य लक्ष्य पूंजी मूल्यवृद्धि करते हैं। यह **उच्च जोखिम** का अनुसरण करता है।

आय, सावधिक-ब्याज और निधि बांड - निधि का सरकारी प्रतिभूतियों, निर्धारित आय प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। यह **मध्यम जोखिम** प्रदान करता है।

नकद निधि - निधि को अल्पकालिक बाजार साधन, जैसे कैश एंड बैंक जमा, राजकोष बिल और वाणिज्यिक पत्र की ओर निर्देशित किया जाता है। यह **निम्न जोखिम** प्रदान करता है।

बकाया निधि - निधियों को नियत ब्याज लिखत के साथ इक्विटी निवेश में संयोजित करके निवेश किया जाता है। कुल निवेश योग्य राशि उच्च जोखिम वाले इक्विटी जैसे कंपनी के स्टॉक और कम जोखिम वाले, नियत आय लिखत के बीच में विभाजित की जाती है।

मृत्यु पर आधारित देय लाभ

यूलिप योजना में मृत्यु पर देय लाभ की गारंटी नहीं है। निधि पालन के अनुसार बीमाकृत राशि भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। बीमाकृत राशि मृत्यु पर न्यूनतम गारंटीकृत देय लाभ है।

टाइप I यूलिप - यह मृत्यु पर देय लाभ के रूप में उच्चतम बीमाकृत राशि या निधि मूल्य प्रदान करती है।

टाइप II यूलिप - यह योजना पॉलिसी धारक को मृत्यु लाभ के रूप में अर्थात बीमाकृत राशि जमा निधि मूल्य का भुगतान करती है।

लाभ

- यह निधियों के बीच अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।
- कर लाभ की सुविधा है।
- यह पॉलिसीधारक को पॉलिसी के (5 साल के अवरुद्धता अवधि के बाद) कार्यकाल के भीतर आंशिक आहरण (रुपया/धन निकालने) करने की अनुमति देता है।
- सभी यूनिट-लिंकड उत्पाद, पेंशन और वार्षिकी उत्पादों के अलावा अन्य न्यूनतम मृत्यु दर कवर या स्वास्थ्य कवर प्रदान करेंगे।

न्यूनतम मृत्यु दर कवर

- ✓ 45 वर्ष से कम आयु के लिए न्यूनतम बीमाकृत राशि -125% का एकल प्रीमियम है।
- ✓ 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए न्यूनतम बीमाकृत राशि - 110% का एकल प्रीमियम है।

न्यूनतम स्वास्थ्य कवर

- ✓ 45 वर्ष से कम आयु के लिए न्यूनतम वार्षिक स्वास्थ्य कवर - प्रति वार्षिक 100000 रुपये/वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना है।
- ✓ 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए न्यूनतम बीमाकृत राशि - प्रति वार्षिक 75000 रुपये/वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना है।

यूलिप शुल्क

IRDAI के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक की अवधि वाली नीतियों के लिए, परिपक्वता पर आय में शुद्ध कमी 2.25% से अधिक नहीं होगी। 10 वर्ष से कम या इसके बराबर की अवधि परिपक्वता पर 3% से अधिक नहीं होगी।

विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा सुलभ यूलिप में लगाया जाने वाले शुल्क की संरचनाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। शुल्क इस प्रकार हैं:

प्रीमियम आवंटन शुल्क - भुगतान किए गए प्रीमियम से एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कटौती की जाती है। यह पॉलिसी के प्रारंभिक वर्षों में उच्च दरों पर लिया जाता है। शुल्क में प्रारंभिक और नवीकरण व्यय और मध्यस्थ कमीशन व्यय शामिल हैं।

मृत्यु शुल्क -

ये योजना के तहत बीमा कवरेज को लागत प्रदान करने के लिए लगाया गया शुल्क है। मृत्यु पर लगाये गए शुल्क कुछ कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे आयु, कवरेज की राशि (बीमा राशि) आदि और मासिक आधार पर कटौती की जाती है।

निधि प्रबंधन शुल्क (FMC) - यह निधि के प्रबंधन के लिए लगाया जाता है और निवल आस्ति मूल्य (NAV) तक पहुंचने से पहले कटौती कर ली जाती है। FMC को दैनिक आधार पर NAV से समायोजित किया जाता है। निधि मूल्य की प्रति वर्ष अधिकतम अनुमति 1.35% है।

नीति प्रबंधन शुल्क - यह नीति के प्रशासन के लिए लगाया गया शुल्क है और इसे चुनी गई सभी निधियों से इकाइयों को रद्द करके मासिक आधार पर शुल्क लिया जाता है। यह नीति अवधि के दौरान एकसमान हो सकता है या पूर्व-निर्धारित दर पर भिन्न हो सकता है।

आंशिक निकासी शुल्क - यूलिप में 5 वर्ष के बाद धन की आंशिक निकासी का विकल्प होता है। योजनाएं निकासी की अनुमति देती हैं जो एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क हो सकती हैं या लेन-देन के आधार पर शुल्क लिया जा सकता है।

फंड (निधि) स्विचिंग शुल्क - 100 रुपये - 500 रुपये (बीमाकर्ता की शुल्क संरचना के अधीन) के शुल्क से प्रत्येक वर्ष सीमित संख्या में फंड स्विच करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रीमियम पुनर्निर्देशन शुल्क - यदि पॉलिसीधारक मौजूदा फंड संरचना को बदले बिना किसी अन्य कम जोखिम वाले फंड विकल्पों में प्रीमियम को पुनर्निर्देशित करता है, तो बीमाकर्ता प्रीमियम पुनर्निर्देशन शुल्क लेते हैं।

सरेंडर शुल्क - यह पॉलिसी की शर्तों में उल्लिखित इकाइयों की शुरुआती आंशिक या पूर्ण नकदीकरण में से घटाया जा सकता है।

यूलिप के अंतर्गत लोन

- किसी भी यूलिप नीति के तहत अधिकतम ऋण राशि उन उत्पादों में शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य का 40% से अधिक नहीं होगी, जहां कुल हिस्सेदारी के 60% से अधिक के लिए इक्विटी खाते हैं।
- और ऋण उन उत्पादों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के 50% से अधिक नहीं होगा, जहां ऋण साधन खाते कुल हिस्सेदारी के 60% से अधिक हैं।

संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी

- एक संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी जीवन की मृत्यु तक आश्वासन देती है। यदि जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है तो पॉलिसी जीवन भर लागू रहती है।
- आमतौर पर, परिपक्वता की आयु 100 वर्ष होती है। यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु 100 वर्ष से पहले हो जाती है, तो उसे बीमा राशि का आश्वासन दिया जाता है। सम्पूर्ण जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध कर लाभ और ऋण का लाभ उठाया जा सकता है।

बाल (child) योजना

- यह एक बीमा सह निवेश योजना है जो किसी व्यक्ति को बच्चे की शिक्षा और विवाह के लिए एक वित्त कोष बनाने में मदद करती है।
- साथ ही, यह बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में बच्चे को बीमा राशि प्रदान करती है।

बीमा धोखाधड़ी

- . बीमा धोखाधड़ी एक बीमा अनुबंध के खरीदार या विक्रेता के हिस्से पर एक अवैध कार्य है।
- . यह या तो एक बड़ी धोखाधड़ी या एक छोटी धोखाधड़ी हो सकती है।
- . एक बड़ी धोखाधड़ी तब होती है जब कोई जानबूझकर नुकसान की योजना बनाता है जैसे कि चोर द्वारा एक मोटर वाहन की चोरी या वह संपत्ति जो एक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई हो।
- . छोटी धोखाधड़ी अधिकतर होती हैं और इसमें पॉलिसीधारकों द्वारा वैध दावों का बढ़ा-चढ़ाकर का बखाना शामिल होता है। उन्हें अवसरवादी धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है।

बीमा धोखाधड़ी के प्रकार

प्रीमियम डायवर्सन - यह बीमा प्रीमियम का गबन/धोखाधड़ी है। इसमें एक बीमा एजेंट शामिल होता है जो अंडरराइटर को प्रीमियम भेजने में विफल रहता है और इसके बदले वह बिना लाइसेंस के व्यक्तिगत उपयोग और बीमा बेचने के लिए धन रखता है, प्रीमियम जमा करता है और उसके बाद दावे का भुगतान नहीं करता है।

शुल्क मंथन - जब बिचौलिये एक पुनर्बीमा समझौते के दौरान कई अलग-अलग कंपनियों से कमीशन लेते हैं, तो शुल्क मंथन उत्पन्न होता है। यदि दावों का भुगतान करने के लिए धन प्रतिबंधित हो, तो धोखाधड़ी की पहचान की जा सकती है।

आस्ति डायवर्सन - यह आमतौर पर तब होता है जब एक बीमा कंपनी का विलय दूसरी बीमा कंपनी के साथ हो जाता है और अक्सर ऋणों का निपटान करने के लिए अधिग्रहित कंपनी की संपत्ति का उपयोग करती है।

बीमा लोकपाल

भारत सरकार ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 24 के तहत "बीमा लोकपाल नियम, 2017" तैयार किया। यह व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों के लिए बनाया गया था ताकि वे अपनी शिकायतों को प्रभावी-लागत, कुशलता और निष्पक्ष तरीके से अदालती प्रणाली से बाहर कर सकें।

टर्म - एक बीमा लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है या जब तक वृत्ति-भोगी 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पहले होती हो। इसमें पुनः नियुक्ति की अनुमति नहीं है।

कार्य - लोकपाल एक निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करता है और इससे संबंधित विवादों को सुलझाता सकता है:

- ✓ दावों के निपटारे में देरी करना
- ✓ एक बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक / कुल अस्वीकरण।
- ✓ पॉलिसी के संदर्भ में प्रीमियम भुगतान या देय पर विवाद
- ✓ पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी समय पॉलिसी के नियम और शर्तों का गलत विवरण
- ✓ नीतियों के कानूनी निर्माण पर विवाद क्योंकि इस तरह के विवाद दावों से संबंधित हैं।
- ✓ बीमा कंपनियों और उनके एजेंटों और बिचौलियों के विरुद्ध संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करना
- ✓ जीवन बीमा पॉलिसी जारी करना, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सहित साधारण बीमा पॉलिसी जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव फॉर्म के अनुरूप नहीं है।
- ✓ जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा में प्रीमियम की प्राप्ति के बाद ग्राहकों को कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं करना।
- ✓ बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई अन्य मामला

समाधान और निर्णय करना -

1. कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति जिसने बीमा की व्यक्तिगत तर्ज पर बीमा पॉलिसी ली है, जिनमें समूह बीमा पॉलिसियां, स्वामित्व पॉलिसियां और लघु उद्यम को जारी की गई पॉलिसी लोकपाल के पास जा सकती है।

2. किसी भी बीमा कंपनी के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
3. शिकायत 1 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
4. विवाद के तहत राशि की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है, जिसके लिए लोकपाल शिकायत कर सकता है।
5. लोकपाल शिकायत की प्राप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर एक निर्णय करेगा।
6. यदि पॉलिसी धारक लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता फोरम और कानून के न्यायालयों से संपर्क कर सकता है।

बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद

आकस्मिक मृत्यु लाभ और अपंग होना- दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसीधारक को दिया जाने वाला यह एक अतिरिक्त लाभ है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह दुर्घटना में अपने अंगों या दृष्टि खो देता है तो बाद में उसे भुगतान किया जाता है।

बीमांकिक - अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति, जो बीमा व्यवसाय के लिए जोखिम का आकलन और प्रीमियम आदि का आकलन करने में मदद करते हैं, उन्हें बीमांकिक (मुंशी) कहा जाता है।

वास्तविक नकद मूल्य- इसे क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात् बाजार मूल्य पर इसके मौद्रिक मूल्य से होने वाली घटना से ठीक पहले की स्थिति होती है।

सकारात्मक वारंटी - यह पॉलिसी को जारी करने के लिए कुछ निश्चित तथ्यों या शर्तों की विश्वसनीयता या सत्यापन के अनुसार बीमाधारक के रूप में परिभाषित है।

वार्षिक प्रीमियम के समक्ष (APE)- यह नए व्यवसाय से नियमित रूप से वार्षिक प्रीमियम की धनराशि है और साथ ही एक निश्चित दिए गए अवधि में पहले एकल प्रीमियम का 10% है।

मध्यस्थता - एक बीमा कंपनी के गठन की प्रक्रिया और किसी तीसरे पक्ष द्वारा दावे का विवाद निपटाने के लिए बीमाधारक सहमत होते हैं जिसे मध्यस्थता कहा जाता है।

नियोजक- एक पार्टी/संस्था जो अनुबंध के अधिकारों को दूसरी पार्टी (संपत्ति-भागी) को हस्तांतरित करती है, उसे नियोजक कहा जाता है।

कानूनी हस्तांतरण - इसका अर्थ है कानूनी हस्तान्तरण। इसे पॉलिसी दस्तावेज या अलग तथ्य के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। कानूनी हस्तांतरण दो प्रकार के हो सकते हैं - सशर्त और निरपेक्ष।

बैंक बीमा - बैंक बीमा का अर्थ बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना है। बैंक और बीमा कंपनी एक साझेदारी में आते हैं जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है।

व्यापार बीमा - एक नीति जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के विपरीत व्यवसाय को लाभ का कवरेज प्रदान करती है। यह एक प्रमुख कर्मचारी या एक साझेदार की सेवाओं के नुकसान के लिए एक व्यवसाय की क्षतिपूर्ति करने के लिए जारी किया जाता है, जो निर्योग्य बन जाता है।

पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (CAPM)- एक परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल जो अपेक्षित जोखिम और विपणन योग्य संपत्ति के लिए अपेक्षित रिटर्न के बीच संबंध का वर्णन करता है। CAPM बताता है कि एक परिसंपत्ति के रिटर्न और व्यवस्थित कारकों के रिटर्न के बीच एक प्रतिगमन समीकरण का अवरोधन कुशल बाजार में 0 प्रतिशत के बराबर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह व्यवस्थित जोखिम का एक स्रोत भी हो।

उप-बीमा - वह प्रतिशत जो आपको अपनी वार्षिक कटौती के बाद अपने चिकित्सा सम्बन्धी दावों के भुगतान के उत्तरदायित्व को साझा करने के बड़ावा देगा। उदाहरण के लिए, आपका बीमा प्रदाता आपके दावे के 80% का भुगतान कर सकता है, जो आपको शेष 20% का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

टकराव (collision) कवरेज - यह किसी अन्य वाहन या वस्तु के साथ टक्कर के परिणामस्वरूप आपके वाहन को नुकसान के लिए भुगतान किए जाने कवरेज का एक प्रकार है।

संवृति/छिपाना - बीमाकर्ता के सामने किसी भी प्रासंगिक तथ्य को छिपाने या न रखने की क्रिया है जिसे प्रकट करने की आवश्यकता है। एक आवेदक इस धोखाधड़ी अधिनियम को जानबूझकर या अनजाने में करता है जिससे बीमाकर्ता को नुकसान हो सकता है।

अनुषंगी हिताधिकारी - एक जीवन बीमा पॉलिसी या एक वार्षिकी योजना में, अनुषंगी हिताधिकारी को पॉलिसी से उसी समय प्राथमिक हिताधिकारी के निधन की स्थिति में बीमाधारक के रूप में प्राप्त होता है।

ऋण आवरण - वित्तीय गारंटी बीमा का एक रूप, उधारकर्ता के सभी ऋणों को कवर नहीं करता है, लेकिन एक विशिष्ट ऋण, ऋण जारी करने या अन्य वित्तीय लेन-देन को कवर करता है।

रद्द करना - एक बांड में निहित जोखिम की डिग्री जिसके लिए बांडधारक प्रमुख हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से "रद्द" है, इसका अर्थ यह है कि बांड मूलधन और बॉन्ड ब्याज दोनों को अपनी संपूर्णता में नुकसान का खतरा है।

आस्थगन अवधि - यह एक बीमा-सह-पेंशन पॉलिसी की सदस्यता की तारीख और पेंशन की पहली किस्त प्राप्त करने के समय के बीच की अवधि है।

ग़बन/धोखाधड़ी - इसका अर्थ यह है कि धोखाधड़ी या किसी अन्य की संपत्ति या धन का उपयोग करना जो किसी के धन की देखभाल के लिए सौंपा गया है।

विबंधन - एक कानूनी सिद्धांत एक पार्टी को अपने स्वयं के पिछले कार्यों का विरोध करने से रोकता है यदि उन कार्यों के लिए कोई अन्य पार्टी यथोचित रूप से निर्भर हो। उदाहरण के लिए, बीमित व्यक्ति द्वारा बार-बार देर से प्रीमियम भुगतान स्वीकार करने वाले बीमाकर्ता को गैर-भुगतान के आधार पर पॉलिसी को रद्द करने से बाद में रोक दिया जा सकता है क्योंकि बीमित व्यक्ति का मानना है कि उसके द्वारा देर से किया गया भुगतान स्वीकार्य है।

विशेष विक्रय अधिकार बीमा - यह बीमा का एक रूप है जिसमें व्यक्तिगत नीतियां एक सामान्य नियोक्ता या किसी संघ के सदस्यों को एक व्यवस्था के तहत जारी की जाती हैं, जिसके द्वारा नियोक्ता या संघ प्रीमियम जमा करने और बीमाकर्ता को भेजने के लिए सहमत होते हैं।

ऐच्छिक पुनर्बीमा - यह एक प्रकार का पुनर्बीमा है जिसमें पुनर्बीमाकर्ता पुनर्बीमा प्राप्त करने वाली बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किसी भी जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

रियायत अवधि - यह प्रीमियम देय तिथि के बाद की अवधि है, जिसके दौरान जुर्माना दिए बिना अतिदेय प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान पॉलिसी लागू रहती है।

क्षतिपूर्ति - क्षतिपूर्ति का अर्थ है नुकसान के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे को मुआवजे का भुगतान करना।

कीमैन बीमा पॉलिसी - यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के लिए लिया जाता है जो किसी भी तरह से अपने कर्मचारी से जुड़ा हुआ है या अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है।

व्यपगत पॉलिसी - वह पॉलिसी जो समाप्त हो गई है और प्रीमियम देय नहीं होने के कारण लागू नहीं होती है।

आजीवन वार्षिकी - आजीवन वार्षिकी एक बीमा उत्पाद है जिसमें निवेदक को सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवनकाल के लिए भविष्य के भुगतान की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। जब तक वह काम कर रहा/रही है, तब तक वार्षिक-वेतन तक एक पूर्व निर्धारित भुगतान या नियमित भुगतान की एक श्रृंखला का भुगतान करना होगा।

म्यूचुअल फंड - एक निवेश कंपनी जो अपने स्वयं के स्टॉक को बेचकर पूंजी जुटाती है और फिर उत्पन्न आय के साथ अन्य प्रतिभूतियों को निवेश के रूप में खरीदती है।

नैतिक जोखिम - नैतिक जोखिम, जोखिम कारक है जो जोखिम को स्वीकार करने के लिए बीमा कंपनी के निर्णय को प्रभावित करता है।

घटना पॉलिसी - पॉलिसी कवर उन दावों को कवर करता है जो पॉलिसी अवधि के दौरान होने वाली क्षति या चोट से उत्पन्न होते हैं, जब वे दावे किए गए हों।

जोखिम- बीमा पॉलिसी, जैसे कि आग, आंधी, बाढ़, या चोरी से होने वाले नुकसान का एक विशिष्ट जोखिम या कारण इसमें शामिल हैं।

व्यापन दर - यह किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को इंगित करता है। जीडीपी में एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में **व्यापन दर** को मापा जाता है।

पॉलिसीधारक - पॉलिसीधारक वह है जो जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है। पॉलिसीधारक पॉलिसी का मालिक है और वह जीवन भर का आश्वासन दे भी सकता/सकती है और नहीं भी दे सकता/सकती है।

बहाली - यदि कोई बीमित व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है और परिणामस्वरूप बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाती है, तो बीमा कवरेज को नवीनीकृत किया जा सकता है। ऐसी भूल के बाद बंद हो चुकी बीमा पॉलिसी को वापस लाने की इस प्रक्रिया को बहाली के रूप में जाना जाता है।

पुनर्बीमा - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक इकाई (पुनर्बीमाकर्ता) प्रीमियम भुगतान के बारे में एक बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी के तहत कवर किए गए जोखिम के सभी हिस्से को लेती है। दूसरे शब्दों में, यह बीमा कंपनियों के लिए एक बीमा कवर का एक रूप है।

प्रतिधारण सीमा - एक बीमाकर्ता द्वारा प्रति जीवन प्रतिधारित जोखिम की अधिकतम राशि को प्रतिधारण कहा जाता है। इसके अलावा, बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता के लिए अतिरिक्त जोखिम का हवाला देता है। अतः जिसके आगे बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता के लिए जोखिम का हवाला देता है, उसे प्रतिधारण सीमा कहते हैं।

अभ्यर्पण मूल्य - यह पॉलिसी धारक को पॉलिसी की परिपक्वता से पहले पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय लेने की स्थिति में देय मूल्य है।

उत्तरजीविता लाभ - यह एक ऐसे व्यक्ति को बीमित राशि का भुगतान है जो एक मनी बैक पॉलिसी के तहत किस्तों के कारण बना हो ।

प्रतिस्थापन -कंपनी का अधिकार यह है कि वे जिस पार्टी की क्षतिपूर्ति करते हैं उसके जीवन में स्थान रखते हैं और किसी भी पार्टी पर मुकदमा करते हैं जिसका मुआवजा पार्टी कर सकती थी।

अनर्जित प्रीमियम - अनर्जित प्रीमियम सम्पूर्ण प्रीमियम का वह हिस्सा होता है जो बीमा कंपनियों द्वारा पहले से एकत्रित किया जाता है, लेकिन जिसके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।

सामान्य, उचित और प्रथागत (URC) - यह वह राशि है जो बीमा कंपनियां इस बात का वर्णन करने के लिए उपयोग करती हैं कि वे कवर किए गए खर्च के लिए कितना भुगतान करेंगे।

वेस्टिंग आयु - यह वह आयु है जिस पर बीमा-सह-पेंशन योजना में पेंशन की प्राप्ति शुरू होती है।

सम्पूर्ण जीवन कवरेज - बीमाधारक के जीवित रहने तक यह कवरेज का वह प्रकार है, जिसमें बशर्ते कि सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। इस प्रकार के कवरेज में आमतौर पर पॉलिसी के पूरे जीवनकाल के दौरान समान प्रीमियम दर रखी जाती है।

विविध विषय

➤ बीमा आधान

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी और जिसे बीमा कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों के आंकड़े को बनाए रखने के लिए IRDA द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, बीमा आधान कहलाता है।

- बीमा आधान बीमा पॉलिसी नहीं बेच सकते हैं। यह सभी बीमा पॉलिसियों का सेवा रिकॉर्ड प्रदान करता है।
- IRDA ने 'बीमा आधान' के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित पाँच संस्थाओं को पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया है।

- ✓ NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
- ✓ SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
- ✓ कर्वी इंश्योरेंस रेपोसिटेरी लिमिटेड
- ✓ सेन्ट्रल इंश्योरेंस रेपोसिटेरी लिमिटेड
- ✓ CAMS इंश्योरेंस रेपोसिटेरी लिमिटेड

एक व्यक्ति कई ई-बीमा खाते नहीं खोल सकता है। एक स्वीकृत व्यक्ति बीमा आधान द्वारा नियुक्त एक बिक्री केंद्र (पीओएस) है और आईआर (IR) सेवाओं का विस्तार करने के लिए बीमा आधान की ओर से काम किया जाएगा।

➤ कर्मचारी राज्य बीमा निगम

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत स्थापित एक वैधानिक कॉर्पोरेट निकाय है, जो ईएसआई योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- यह एक स्व-वित्तपोषण योजना है। ईएसआई निधि मुख्य रूप से भुगतान किए गए मजदूरी के एक निश्चित प्रतिशत पर मासिक रूप से देय नियोक्ताओं और कर्मचारियों के योगदान से बनाए जाते हैं। राज्य सरकारें चिकित्सा लाभ की लागत का 1/8 वाँ हिस्सा भी वहन करती हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा किसी कर्मचारी की निर्धारित वेतन सीमा 21000 रुपये है।

➤ भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

- ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1957 में ऋण जोखिम बीमा और निर्यात के लिए संबंधित सेवाओं को प्रदान करके देश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह एक निर्यात संवर्धन संगठन है, जो भारतीय निर्यातकों को ऋण बीमा कवर प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना चाहता है। ईसीजीसी अपनी प्रीमियम दरों को इष्टतम स्तर पर रखता है।

➤ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC)

- DICGC आरबीआई की एक सहायक कंपनी है जो सभी बैंकों को बीमा प्रदान करती है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 का उद्देश्य जमाओं के बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी के उद्देश्य से एक निगम की स्थापना के लिए प्रदान करना है।
- यह योजना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। कोई भी बीमित बैंक DICGC के कवरेज से स्वयं को नहीं निकाल सकता। यह 1 लाख रुपये की अधिकतम राशि तक मूलधन और ब्याज का बीमा करता है।
- यह विदेशी सरकारों, केंद्र / राज्य सरकारों, अंतर-बैंक जमाओं, भारत के बाहर प्राप्त किसी भी राशि को छोड़कर, बचत, नियत, चालू, आवर्ती, आदि जैसे सभी जमाओं का बीमा करता है।

➤ इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट (IIRM)

- IIRM विश्व में बीमा और बीमांकिक विज्ञान में शिक्षा के लिए एकमात्र समर्पित संस्थान है।
- यह सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र के लिए आवश्यक कार्यबल विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नियामक IRDAI द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।
- संस्थान नियमित और दूरस्थ मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और हैदराबाद में स्थित है।

➤ भारतीय बीमा संस्थान (III)

- भारतीय बीमा संस्थान को पूर्व में 1955 में फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता था। देश में बीमा शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया था।
- संस्थान एक पेशेवर निकाय है जो बीमा उद्योग की सेवा करता है। यह मुंबई में स्थित है।

➤ राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA)

- NIA की स्थापना 1980 में वित्त मंत्रालय, LIC, GIC, NIACL, NIC, UIIC और OIC ने संयुक्त रूप से 1980 में की थी, जो कि बीमा, पेंशन और संबद्ध क्षेत्रों में सीखने और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का संस्थान है।
- अकादमी को 1990 में सीखने और अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण संक्षिप्तता

पद	संक्षिप्तता
ACV	Actual Cash Value
ADB	Accidental Death Benefit
AD&D	Accidental Death and Dismemberment
ALOP	Advance Loss of Profit
AP	Additional Premium
BPF	Basic Premium Factor
CAC	Combined Additional Coverage
CARG	Compounded Annual Growth Rate
CAPM	Capital Asset Pricing Model

CDS	Credit Default Swap
CGL	Commercial General Liability
CPL	Comprehensive Personal Liability
DAC	Deferred Acquisition Cost
DAB	Double Accident Benefit
EAP	Estimated Annual Premium
ECI	Export Credit Insurance
EP	Earned Premium
EPLI	Employment Practices Liability Insurance
FRV	Fair Rental Value
FUP	First Unpaid Premium
GAP	Guaranteed Auto Protection
GDP	Gross Domestic Product
GDPI	Gross Direct Premium Income
GWP	Gross Written Premium
IBNR	Incurred But Not Reported
IGCC	IRDA Grievance Call Centre
IGMS	Integrated Grievance Management System
III	Insurance Institute of India
LAE	Loss Adjustment Expense
MLE	Maximum Loss Expectancy
MPCI	Multi-Peril Crop Insurance
NLG	No Lapse Guarantees
NPV	Net Present Value
NSP	Net Single Premium
NVD	No Value Declared
OCA	Outstanding Claims Account
ORM	Operational Risk Management
PIA	Primary Insurance Account
PML	Probable Maximum Loss
PWB	Premium Waiver Benefit
RAM	Reverse Annuity Mortgage
RBC	Risk Based Capital
ROE	Return on Equity
ROI	Return on Investment
RP	Return Premium

TDA	Tax Deferred Annuity
TDB	Temporary Disability Benefits
TPA	Third Party Administrator
UP	Unearned Premium
UNL	Ultimate Net Loss

बीमा संबंधी सरकारी योजनाएँ

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- पीएमजेबीवाई को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसकी कवर अवधि प्रत्येक वर्ष को 1 जून से लेकर अगले वर्ष की 31 मई तक है।
- यह एक वर्षीय अक्षय जीवन कवर प्रदान करता है।
- अधिकतम परिपक्वता आयु 55 (55 वर्ष के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाती है) है।
- प्रीमियम दर - 330 रुपये प्रति वर्ष
- अधिकतम मृत्यु लाभ (बीमित राशि) - 2,00,000 रुपये
- इसमें आयकर अधिनियम 80 C के तहत कर लाभ होता है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- पीएमएसबीवाई (PMSBY) को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था।
- यह व्यक्ति को एक वर्षीय अक्षय आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता कवर प्रदान करता है।
- 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का उपयोग करने के लिए पात्र है।
- प्रीमियम दर - 12 रुपये प्रति वर्ष
- दुर्घटना मृत्यु कवर / कुल स्थायी विकलांगता - 2 लाख रुपये
- स्थायी आंशिक विकलांगता - 1 लाख रुपये

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना

- पीएमवीवीवाई (PMVVY) का शुभारंभ 4 मई, 2017 को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों की सुरक्षा और बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था।
- यह 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है।
- न्यूनतम खरीद मूल्य - 1.5 लाख रुपये
- अधिकतम खरीद मूल्य - 15 लाख रुपये प्रति वरिष्ठ नागरिक
- न्यूनतम पेंशन - 1000 रुपये प्रति माह
- अधिकतम पेंशन - 10000 रुपये प्रति माह
- सरेंडर मूल्य - असाधारण परिस्थितियों (गंभीर बीमारी) में खरीद मूल्य का 98%
- ऋण सुविधा - 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद उपलब्ध
- अधिकतम ऋण मूल्य - खरीद मूल्य का 75%
- योजना का विस्तार 3 मई 2018 से 31 मार्च 2020 तक किया गया है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

- पीएमएफबीवाई (PMFBY) को 14 जनवरी 2016 को किसानों को सस्ती दर पर गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक फसल बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।
 - अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों और गैर-कर्जदार किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना अनिवार्य है।
 - यह योजना 'क्षेत्रोन्मुखता' आधार पर संचालित होती है, अर्थात् व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र शामिल है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2018 में शुरू किया गया है।

- यह द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के अस्पताल में भर्ती के होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
- यह सेवा के स्थान पर लाभार्थी के लिए सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है।
- PMJAY के तहत प्रीमियम का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच उत्तर पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों को छोड़कर 60:40 है, जहां केंद्र के लिए ऊपरी सीमा के साथ अनुपात 90:10 है।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, बिना विधायिका के संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रीमियम का केंद्रीय योगदान 100% है, जबकि विधायिका के लिए यह 60:40 है।

अटल पेंशन योजना

- अटल पेंशन योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी जैसे कि व्यक्तिगत नौकरानियों, ड्राइवरों, माली आदि। यह पिछली सरकार की स्वावलंबन योजना के स्थान पर आई है। प्रत्येक वर्ष पहली जून को इस योजना का नवीनीकरण किया जाता है।
 - पेंशन की गारंटी - 1000 रुपये से 5000 रुपये
 - शामिल होने के लिए आयु सीमा - 18 से 40 वर्ष
 - किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि - 20 वर्ष
 - 60 वर्ष की आयु में, ग्राहकों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
 - सरकार ने कुल अंशदान 1000 रुपये प्रतिवर्ष का 50%, इनमें से जो भी कम हो, सभी ग्राहकों को जून 2015 और दिसंबर 2015 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए सह-योगदान दिया।
 - APY के तहत एकत्रित राशि का प्रबंधन PFRDA द्वारा नियुक्त पेंशन फंड द्वारा किया जाता है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना

- पीएमजेडीवाई योजना प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए 2014 में शुरू की गई थी।
 - PMJDY को किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता दुकानों में शून्य शेष खाते के साथ खोला जा सकता है।

- अधिकतम जमा राशि - 1 लाख रुपये
- RuPay कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर - 2 लाख रुपये
- जीवन बीमा कवर - 30000 रुपये (वे व्यक्ति जिनके खाते 15-8-2014 से 31-1-2015 के दौरान हैं)

तथ्य: निजी जीवन/गैर-जीवन बीमा कंपनियां (आवश्यक)

संस्थान	मुख्यालय	टैगलाइन	संयुक्त उद्यम कम्पनियां
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	सर उठा के जियो	एचडीएफसी लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	ज़िम्मेदारी का हमसफ़र	आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल कार्पोरेशन होल्डिंग्स
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	फायदे का इंश्योरेंस	कोटक महिंद्रा बैंक और पुरानी म्यूचुअल पीएलसी
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	आपके सपने हमारी प्रतिबद्धता	आदित्य बिड़ला ग्रुप और सन लाइफ फाइनेंशियल इंक।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	विथ अस यू आर श्योर	भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी पारिबा कार्डिफ
रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	मुंबई	उपलब्ध नहीं	रिलायंस कैपिटल और जापान के निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस
भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस को. लिमिटेड	मुंबई	जीवन सुरक्षा का नया नजारिया	AXA समूह और भारती उद्यम
केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गुरुग्राम	आपके वादे सर आँखों पर	केनरा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड
IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंबई	उपलब्ध नहीं	आईडीबीआई बैंक, फेडरल बैंक और एजेस
बजाज एलाइन्ज़ जनरल इंश्योरेंस	पुणे	रिलेशनशिप बियोड इंटेलिजेंस	बजाज फिनसर्व लिमिटेड एंड एसई एलियांज ऑफ जर्मनी
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	मुंबई	उपलब्ध नहीं	बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र बैंक और कानूनी और सामान्य समूह (यूके)
HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	मुंबई	हर पल आपके साथ	एचडीएफसी बैंक और म्यूनिख आधारित एर्गो इंटरनेशनल एजी
रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गुरगांव	वैल्यूस एंड बांड	रेलिगेयर एंटरप्राइज, यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	मुंबई	विथ यू ऑलवेज	टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप

मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस	नई दिल्ली	योर हेल्थ फर्स्ट	मैक्स इंडिया लिमिटेड और बुपा फाइनेंस पीएलसी यूके
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	नई दिल्ली	करो ज्यादा का इरादा	मैक्स इंडिया लिमिटेड और मित्सुई सुमितोमो बीमा कं लिमिटेड
अपोलो म्यूनिख स्वास्थ्य बीमा	हैदराबाद	वी नो हेल्थकेयर	अपोलो ग्रुप और म्यूनिख रे
टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	मुंबई	यू क्लिक, वी कवर	टाटा संस लिमिटेड और AIA ग्रुप लिमिटेड
अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस	गुरुग्राम	कल पर कंट्रोल	डाबर इंडिया और यूके का अवीवा पीएलसी
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस	चेन्नई	ट्रस्ट, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी	मुरुगप्पा समूह और मित्सुई सुमितोमो बीमा कंपनी लिमिटेड
फ्यूचर जेनरल लाइफ इंश्योरेंस	मुंबई	एक शगुन जिंदगी के नाम	फ्यूचर ग्रुप, जेनरल ग्रुप, और IITL

FREE Ebooks

[Download Now](#)

Current Affairs

[Explore Now](#)

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

[Web](#)

[APP](#)

BLOG

Your one-stop destination
for all exam related
information & preparation
resources.

[Explore Now](#)

FORUM

Interact with peers & experts,
exchange scores
& improve your preparation.

[Explore Now](#)

